राजस्थान सरकार

# न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

नम्बर 33/2015 दायर दिनांक 01.09.2015

—: अनवानः—

1.गोपाल पिता मांगु रेगर निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ़ (प्रार्थी)

**बनाम**

1. गिरधरसिंह पिता पहाड़सिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ़

(अप्रार्थीगण)

अधिवक्ता प्रार्थी श्री महेशचन्द्र सुखवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री रितुराजसिंह राठौड़

निर्णय दिनांक 02.09.2019

पत्रावली पेश हुई उभय पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित है। प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी गोपाल पिता मांगु रेगर निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ़ पेशा कृषि ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके नाम ग्राम खाखुन्दा प0 हल्का राजगढ़ तहसील माण्डलगढ़ की सरहद में स्थित आराजी न0 218/140 रकबा 1 बीघा भूमि स्थित है। जो कि खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण गिरधरसिंह पिता पहाड़सिंह राजपुत निवासी खाखुन्दा तहसील माण्डलगढ़ ने पटवारी हल्का राजगढ़ के आराजियात ग्राम खाखुन्दा के आराजी न0 218/140 रकबा 1 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है। उक्तानुसार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी रा0 टि0 ए0 के तहत दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीं को नियमानुसार जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रितुराजसिंह राठौड ने अधिकार पत्र पेश किया है व जवाब दावा भी प्रस्तुत कर यह अकिंत किया की उक्त भुमि विपक्षी के पुर्वजों कि है व कब्जा होना भी बताया। जवाब पेश करने के पश्चात पत्रावली में साक्षी प्रार्थी ने अपने बयान दर्ज कराए जिसने उक्त भूमि उसके स्वयं के खाते की होकर विपक्षी द्वारा कब्जा किया जाना दिखाया गया। तथा प्रार्थी ने दस्तावेज जमाबन्दी 2071--2074 पेश की जो EX 1 एव पत्थरगढ़ी का मौका पर्चा पेश किया जो EX 2 है। इसके पश्चात वादी ने अपनी शहादत बंद की। विपक्षी को शहादत पेश करने हेतु कई अवसर दिए गए किन्तु कोई शहादत पेश नही की । कब्जे बाबत मौका रिपोर्ट संबंधित भू0 अभिलेख निरीक्षक से मौका रिपोर्ट ली गयी जो शामिल पत्रावली है। रिपोर्ट भू0 अभि0 नि0 अनुसार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व बयान प्रार्थी से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। बहस प्रार्थी व अप्रार्थी के



तहसीलदार
माण्डलगढ़

अधिवक्ताओं की सुनी गयी । प्रार्थी के अधिवक्ता ने अप्रार्थी द्वारा कब्जा करने की पुष्टि की तथा अप्रार्थी के वकील द्वारा भुमि उनके अप्रार्थी के पूर्वजों की होना बताते हुए कब्जा अपना होना जाहिर किया।

पत्रावली का अवलोकन करने पश्चात एवं प्रस्तुत दस्तावेज बयान प्रार्थी एवं मौका कब्जा रिपोर्ट भू0 अभि0 नि0 के अनुसार उक्त विवादित ग्राम खाखुन्दा के आराजी नम्बर 218/140 रकबा 1 बीघा भूमि से अप्रार्थी का कब्जा पाया गया है। **अतः प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** कें तहत स्वीकार किया जाता है। अनुसुचित जाति की कृषि भूमि पर स्वर्ण जाति के व्यक्ति का कब्जा पाया गया है। **अन्तर्गत धारा 183 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत** नियम विरुद्व है। अतः आदेश दिया जाता है उक्त आराजी न0 218/140 रकबा 1 बीघा भूमि पर से अप्रार्थी को बेदखल कर भूमि का कब्जा राज लेकर प्रार्थी को समलाया जाने हेतु संबंधित भू0 अभि0 नि0 को लिखा जावें। यदि मौके पर कब्जा सम्भलाते वक्त कानुन व्यवस्था भंग होने का अन्देशा हो तो थानाधिकारी काछोला को लिखा जाये। भू0 अभि0 नि0 काछोला द्वारा पुलिस जाप्ता की मांग की जावे तो आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 02.09.2019 को सरे–आम इजलास सुनाया गया।

( गोवर्धन लाल बरवा)
तहसीलदार माण्डलगढ़
जिला भीलवाड़ा